XIV-Form No. 563.

| आदेश की कम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

# न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

## विविध वाद संख्या–95/2011

## बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी) अन्तर्गत

1. श्री आनन्दी उरांव, पिता–स्व0 कार्तिक उरांव
2. श्री किशुन उरांव, पिता–स्व0 कार्तिक उरांव
3. श्री मेचू उरांव, पिता–स्व0 कार्तिक उरांव
4. श्री रिशु उरांव, पिता–स्व0 कार्तिक उरांव
5. श्री इशु उरांव, पिता–स्व0 कार्तिक उरांव

सभी का साकिन– बाधमारा (झील टोला), थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ.............

आवेदकगण

## आदेश

यह विविध अनुमति वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत आवेदक संख्या–1 से 3 को अपनी पुत्री की शादी कराने तथा आवेदक संख्या–4 एवं 5 को अपनी बिमारी के इलाज हेतु मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–11, खेसरा नं0–217, रकवा–27 कट्ठा जमीन बिक्री करने हेतु अनुमति के लिये दायर किया गया है।

आवेदकगण का कथन है कि मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, तौजी नं0–74, खाता नं0–11, खेसरा नं0–217, रकवा–2 एकड़ 18 डिसमिल 7 कड़ी जमीन आवेदकगण के माता रूपमी कुमारी को दान पत्र द्वारा प्राप्त है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात आवेदकगण दखलकार है। इसके अलावे भी अन्य जमीन आवेदकगण को केवाला से एवं खतियान द्वारा प्राप्त है। आवेदकगण सभी संयुक्त रूप से रह रहे है। आवेदकगण अपनी पुत्री की शादी तथा अपना समुचित इलाज कराने एवं स्थानीय लोगों से लिये गये ऋण को चुकान हेतु जमीन बिक्री करना चाहते है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, के0 नगर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, के0 नगर ने अपने पत्रांक 1047, दिनांक 20.10.2011 के द्वारा प्रतिवेदित किये है कि आवेदकगण श्री आनन्दी उरांव वो श्री किशुन उरांव वो श्री मेचू उरांव वो श्री रिशु उरांव वो श्री इशु उरांव, पिता–स्व0 कार्तिक उरांव, साकिन–झील टोला की माता रूपमी कुमारी, पिता–कारे उरांव के नाम से मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–11, खेसरा नं0–217, रकवा–2 एकड़ 18 डिसमिल 7 कड़ी जमीन है, जो जमाबन्दी नं0–168 पर पंजी–II पर दर्ज है।

2. आवेदक द्वारा बिक्री की जानेवाली जमीन मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–11, खेसरा नं0–217, रकवा–0.56 डिसमिल 7 कड़ी जमीन है। लगान वर्ष 2011–12 तक भुगतान है।

3. आवेदकगण के पास बिक्री के पश्चात मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–11, खेसरा नं0–217, रकवा–1.62 एकड़ जमीन बच जाता है। लगान वर्ष 2011–12 तक भुगतान है। इसके अलावे आवेदकगण मौजा–बाधमारा, थाना नं0–236, खाता नं0–55, खेसरा नं0–214, जमाबन्दी नं0–146, 147, 144, 148, 145 पर कुल रकवा 0.35 डिसमिल

XIV-Form No. 563.

| आदेश की कम संख्या एवं तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | जमीन है एवं कसबा मौजा–बेतौना, थाना नं0–232 पर खाता संख्या–58, खेसरा संख्या–445, 446, 447 पर रकवा 0.61 डिसमिल जमीन है।<br>4. आवेदक संख्या–1 से 3 को अपनी पुत्री के विवाह हेतु एवं स्थानीय लोगों के ऋण चुकता करने हेतु एवं आवेदक संख्या–4 एवं 5 को अपनी बिमारी के इलाज हेतु जमीन बिक्री करना चाहते है।<br>5. प्रश्नगत जमीन बिक्री के पश्चात आवेदकगण भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है।<br>6. प्रश्नगत जमीन भूदान, भूहदबन्दी एवं बिहार सरकार से मुक्त हैं।<br>अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदकगण को अपनी पुत्री की शादी, ऋण चुकाने एवं बिमारी का इलाज कराने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।<br>समाहर्त्ता, पूर्णियाँ<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>समाहर्त्ता, पूर्णियाँ | |